

पत्रांक : 10 / नं 4 - 16 / 08 434
बिहार सरकार
गानव संसाधन प्रिकास विभाग

ऐडर

अनील कुमार
सरकार के उप सचिव
भानव संसाधन प्रिकास विभाग, बिहार।

सेया मे.

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली-110092।



पटना, दिनांक 30.6.09

विषय : जेठ डी० पब्लिक स्कूल, बांगरा, दाउदपुर, सारण को CBSE नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महासंघ,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार चूंचित करना है कि अधिसूचना संख्या -238, दिनांक 03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा विभागीय समिति द्वारा दिनांक 25.06.2009 की बैठक में जेठ डी० पब्लिक स्कूल, बांगरा, दाउदपुर, सारण को सी०दी०एस०इ०, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गई है। समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवद्द है :-

1. विद्यालय जय नारायण सिंह मेमोरियल एजुकेशन, चौरी टेबुल द्रस्ट द्वारा संचालित है। इस सोसाइटी/द्रस्ट में किसी एक सदस्य व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय किसी अन्य नियंत्रित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अधवा किसी विद्यालय के ब्रांड नाम का उपयोग नहीं करने का दावा शपथ पत्र भी दिया गया है।
3. विद्यालय को सोसाइटी के द्वारा 2 बीघा 16 कढ़ा 06 घूर जमीन 30 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपरकर पुरतकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो रथल निरीक्षण वर यह सुनिश्चित करना हो कि विद्यालय की आम्बरभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के गानक अनुरूप है।



4. विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति सामाप्तर पत्रों में विद्यालय नियालकर लिखित प्रक्रिया द्वारा बनवे का दावा किया गया है। परन्तु ऐसा कोई साथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे रपट हो कि नियुक्ति में लिखित प्रक्रिया का अनुपालन करने हुए पार्टीर्टिशन गर्डी गई है या नहीं रपट नहीं है। विद्यालय में शिक्षक है। शील्डोफार्मडॉ. नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनियार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क, प्रोसेक्टर्स के मान्यम से विद्यालय सूचना पट से छात्रों को सूचना देकर अभिभावकों को सूचना देकर की जाती है। विद्यालय में अनिवार्यक गोष्ठी आयोजित की जाती है। विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेशण तथा दार्दिक प्रतिवेदन प्रति वर्ष सार्वजनिक किया जाता है।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उनसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03.04.06 में उत्तेजित अपेक्षित गति स्वीकार है। अपेक्षित शतां के अनुसार:-

(क) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पढ़ोस में नियास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे द्युःशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा दर्ग, अत्यसंख्यक, विकलांग वालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- (साठ हजार रुपये) प्रतिवर्ष होंगे।

(छ) विद्यालय में नर्सरी/को०जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के मान्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(ग) नर्सरी/को०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी ३ किलोमीटर तक रहेगी।

(घ) जिल बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापरा लौटाने की व्यवस्था होगी।

यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने रतर से जोर्ज कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनियार्य एवं अपेक्षित शतां का अनुपालन किया जा रहा है। रकूल को यह



शर्त सार्वजनिक घरनी होगी तथा इसका उत्तेष्ठ को प्रोस्ट्रेचरट्स एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उत्त्वपन नी रिष्टरि में अनापति प्रमाण-पत्र याप्ति ले लिया जायेगा तथा राम्यद्वन रद्द करने की कार्रवाई नी जायेगी।

10. निभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने सबीची आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी राग्य खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे तथा वर्णित शर्तों के आधार पर जे० ढी० पब्लिक स्कूल, दांगरा, दाउदपुर, सारण को अनापति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली इस विद्यालय को सी०यी०एस०ई० संवंधन देने के पूर्व यह सुनिश्चित हो तें कि इस विद्यालय के आधारभूत संरचना से संतुष्ट होने के उपरान्त ही संबंधन देंगे।

विश्वासमाजन,

C/८५

(अनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग, विहार, पटना।

ज्ञापांक :- 482/

पटना, दिनांक 30.6.09/

प्रतिलिपि : प्राचार्य, जे० ढी० पब्लिक स्कूल, दांगरा, दाउदपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

C/८६

(अनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 482/

पटना, दिनांक 30.6.09/

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, छपरा, सारण को उनके पत्रांक 1190, दिनांक 23.12.08 के प्रसांग मे सूचनार्थ प्रेषित।

C/८७

(अनील कुमार)

सरकार के उप सचिव